महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली सरकार

पहला तल, आई.एस. बी.टी. बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006

(आर्थिक सहायता अनुभाग)

एफ.स.40(142)/डी.डब्ल्यू.सी.डी./एफ.ए.एस./विधान सभा/तारांकित प्रश्न स.32/2021-22/22385-88 **दिनांक: 31 DEC 2021**

सेवा में,

उपसचिव (प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधानसभा सचिवालय
पुराना सचिवालय, दिल्ली - 54

विषय:- तारांकित प्रश्न संख्या 32 के दिनांक 04.01.2022 के उत्तर सम्बन्ध में।

प्रश्नकर्ता का नाम - माननीय विधायिका श्रीमती राजकुमारी ढिल्लों

महोदय,

उपरोक्त तारांकित प्रश्न संख्या 32 की 100 प्रतियां इस पत्र के द्वारा आपको प्रेषित की जा रही है।

यह उत्तर माननीय मंत्री, महिला एवं बाल विकास के द्वारा अनुमोदित है।

संलग्नक: उपरोक्त.

भवदीया

(नफीस अहमद)
उप निदेशक
आर्थिक सहायता अनुभाग

DD (FAS)
Dept. of Women & Child Development
Govt. of NCT of Delhi.

एफ.स.40(142)/डी.डब्ल्यू.सी.डी./एफ.ए.एस./विधान सभा/तारांकित प्रश्न स.32/2021-22/22385-88 **दिनांक: 31 DEC 2021**

सूचनार्थ प्रेषित:-

1. माननीय समाज कल्याण मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, बांग्ला नंबर 8, राज निवास मार्ग, नई दिल्ली-110054
2. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, पुराना सचिवालय ब्लाक-9, दिल्ली-54 (100 प्रतियां संलग्न है)
3. सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली सरकार, मूक एवं बधिर विद्यालय परिसर, दिल्ली गेट, नई दिल्ली -110002

(नफीस अहमद)
उप निदेशक
आर्थिक सहायता अनुभाग

DD (FAS)
Dept. of Women & Child Development
Govt. of NCT of Delhi

विभाग का नाम - महिला एवं बाल विकास विभाग (मुख्यालय), दिल्ली सरकार

विभाग का पता- पहला तल, आई.एस. बी.टी. बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006

तारांकित प्रश्न संख्या- 32

दिनांक :- 04/01/2022

प्रश्नकर्ता का नाम - माननीय विधायिका श्रीमती राजकुमारी ढिल्लों

क्या माननीय समाज कल्याण मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि:-

प्रश्न	उतर
क) क्या यह सत्य है कि विधवा पेंशन व अन्य पेंशन सुविधाओं का वितरण बैंक खातों के माध्यम से किया जा रहा है जो आधार से संबद्ध हैं;	विधवा पेंशन का भुगतान आधार आधारित एन. पी. सी. आई. (NPCI) से मैप किये गए लाभार्थियों के बैंक खाते में किया जाता है
ख) क्या यह भी सत्य है कि बैंक की औपचारिकताओं के पेंशन प्राप्त करने में काफी विलंब हो जाता है, और	महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा बैंक से सम्बंधित कोई भी औपचारिकता नहीं निभाई जाती है। विभाग द्वारा लाभार्थियों के एन. पी. सी. आई. (NPCI) से मैप आधार संख्या से जुड़े बैंक खाते में भुगतान किया जाता है। कई बार भुगतान के समय कुछ लाभार्थियों द्वारा बैंक में KYC पूर्ण न कराने की वजह से आधार संख्या बैंक खाते से हट जाता है और ऐसी परिस्थिति भुगतान में देरी होती है।
ग) यदि हाँ, तो पेंशन वितरण व्यवस्था को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि लाभार्थियों तक पेंशन शीघ्रातिशीघ्र पहुँच सके	महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा अनेक तरह के सुधार कार्यक्रम समय समय पर लागू किये जा रहे है जैसे कि मुख्यालय के साथ साथ सभी जिला कार्यालयों में सहायता केंद्र (Help Desk) बनाये गए है और समय समय पर जो भी सुझाव ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (E-District Portal) के सुधार के लिए आते है उन्हें एन. आई. सी. (N.I.C) के साथ मिलकर नियमित किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ पेंशन वितरण व्यवस्था को प्रारंभिक स्तर से लेकर अंतिम चरण तक की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का कार्य प्रक्रियाधीन है। जिसमे की भारत सरकार के एन. एस. ऐ. पी. पोर्टल (NSAP Portal) की सहायता से पूरी पेंशन प्रक्रिया को मानवरहित (Digitize) और समयबद्ध (Time Bound) बनाने का कार्य विभाग द्वारा जारी है।

DD (FAS)
Deptt. of Woman & Child Development
Govt. of NCT of Delhi